न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 102 / 2014

प्रार्थीया :—
नाथी उर्फ पपुड़ी पुत्री स्व. श्री सोनाराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर हाल निवासी चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. काली देवी उर्फ मंजुदेवी पुत्री स्व. सोनाराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर हाल निवासी नामनगर पाली तहसील व जिला पाली ।
2. बिदामी पत्नि सोनाराम जाति माली निवासी न्यु बस स्टेण्ड पीपाड़ शहर ।
3. धना देवी पत्नि केवलराम जाति माली निवासी चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर ।
4. ढगली देवी पत्नि शिवदान जाति माली निवासी ग्राम सियारा तहसील पीपाड़ शहर ।
5. रुकमा पत्नि जोगाराम
6. संतोष पत्नि रामकिशोर

जातियान माली निवासी ओमाजी का बेरा पीपाड़ शहर ।

7. मांगीलाल पुत्र गुणेशराम
8. बबनाराम पुत्र फुसाराम
9. भंवरलाल पुत्र फुसाराम फौत के कायम मुकाम :—

9/1 जैना पत्नि भंवरलाल
9/2 संग्रामसिंह पुत्र भंवरलाल
9/3 कमला पुत्री भंवरलाल
9/4 समुदेवी पुत्री भंवरलाल
9/5 तिजादेवी पत्नि भंवरलाल
9/6 कालूराम पुत्र केवलराम
9/7 श्रवणराम पुत्र केवलराम
9/8 संतोष पुत्र केवलराम
9/9 प्रियंका पुत्री केवलराम
9/10 समुड़ी पत्नि गुमनाराम
9/11 सम्पतराज पुत्र गुमनाराम
9/12 पदमसिंह पुत्र गुमनाराम
9/13 महेन्द्र पुत्र गुमनाराम
9/14 संगीता पुत्री गुमनाराम

जातियान माली निवासीगण पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

10. शिवदान पुत्र फुसाराम
11. हापुराम पुत्र फुसाराम

जातियान माली निवासीगण न्यु बस स्टेण्ड के पास पीपाड़ शहर ।

12. सजनाई पत्नि ओमप्रकाश
13. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल

जातियान माली निवासीगण न्यु बस स्टेण्ड के पास पीपाड़ शहर ।

14. शेषाराम पुत्र हरलाल
15. सीतादेवी पत्नि शेषाराम जातियान माली निवासीगण सांखलो का बेरा पीपाड़ शहर ।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:–
श्री उदयसिंह कच्छावाह प्रार्थीया की ओर से
श्री मन्सूर अली छीपा, 3,4,9/4 अप्रार्थीगण की ओर से
श्री अब्दुल सलीम सिन्धी 1,व 2 अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28/11/2019

प्रार्थीया नें एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि कस्बा पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1341 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा 11 बिस्वांसी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई व कस्बा पीपाड़ शहर में ही खसरा नम्बर 1341/1 रकबा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1, 2, व 7 से 11 की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई है । खसरा नम्बर 1341 में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का 8658.30 वर्गफीट वॉ हिस्सा है । अप्रार्थी सं. 3 का 2709.84 वर्गफीट वॉ हिस्सा है अप्रार्थी सं. 4 का 2724.53 वर्गफीट वॉ हिस्सा है अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 का 2718.09 वर्गफीट वां हिस्सा है, अप्रार्थी सं. 7 का 75047.14 वर्गफीट वॉ हिस्सा है, अप्रार्थी सं. 8 से 11 तक का 66559.68 वर्गफीट वां हिस्सा है, अप्रार्थी सं. 12 का 1980 वर्गफीट वां हिस्सा है, अप्रार्थी सं. 13 का 990 वर्गफीट वॉ हिस्सा है । अप्रार्थी सं. 14 का 1905.98 वर्गफीट वां हिस्सा है, अप्रार्थी सं. 15 का 2080 वर्गफीट वां हिस्सा है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपने–अपने हक व हिस्से में काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 1341/1 में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/10 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 7 का 1/2 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 8 से 11 तक का 2/5 वां हिस्सा है । जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थीगण साहुलियत अनुसार काबिज है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया को पुश्तैनी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है । पूर्व में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का हिस्सा सोनाराम के नाम से इन्द्राज था । वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक बंटवाड़ा नही हुआ है व वादग्रस्त आराजी मुख्य बस स्टेण्ड पीपाड़ शहर के पास होने से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण कार्य कर रहे है तथा प्रार्थीया को बेदखल कर रहे है । इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, व सुविधा का सन्तुलन तथा क्षतिपूर्ति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर ,अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण सं. 3, 4 9/4 की ओर से वकील मन्सूर अली छीपा ने वकालातनामा प्रस्तुत किया व अप्रार्थीगण सं. 1,2, व 12 की ओर से वकील अब्दुल सलीम सिन्धी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थीगणो की ओर जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया व अन्य अप्रार्थीगणो पर नोटिस की तामील के बावजुद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

उपखण्ड कार्यालय पीपाड़
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि कस्बा पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1341 में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हक हिस्से तक तथा खसरा नम्बर 1341/1 में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हक व हिस्से तक अप्रार्थीगण कब्जा व काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व प्रार्थीया तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का हक व हिस्सा बेचान हस्तान्तरण नही करेगे।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 28/11/19 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।
फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया तथा अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है जिसका माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा नही हुआ है व अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा के ही निर्माण कार्य कर रहे है । इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है । वकील मन्सुर अली छीपा की ओर से अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी में अधिकांश हिस्सा आबादी में बस चुका है तथा वादग्रस्त आराजी बीघा बिस्वा हैक्टयर की बजाय वर्गफुटो में विभाजित हो चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 1341 में प्रार्थीया तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 8658.30 वर्गफीट वां हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीया के हिस्से में 2886.1 वर्गफीट भूमि आती है । जिसमें अप्रार्थीगण कोई दखलन्दाजी नही कर रहे है व प्रार्थीया के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है । वकील अब्दुल सलीम सिन्धी की ओर से अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी में सोनाराम जी द्वारा अपने हिस्से में से गणपतलाल को भी हिस्सा बेचान किया गया है । गणपतलाल जी का हिस्सा बाहर निकालते हुए प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उनका हिस्सा बाबत् स्थगन दिया जाता है तो उन्हे आपत्ति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व क्षतिपूर्ति के बिन्दु पर विवेचन किया गया । वादग्रस्त आराजी वर्गफुटो में विभक्त हो चुकी है प्रार्थीया तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 8658.30 वर्गफीट हिस्सा है तथा प्रार्थीया ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यही अंकन किया है अप्रार्थी सं. 1 व 2 बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त आराजी का बेचान कर रहे है व अन्य अप्रार्थीगण पर कोई आक्षेप नही है तथा खसरा नम्बर 1341/1 गै.मु.बेरा है । न्यायालय के विन्रम मत में सॅम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाकर वादग्रस्त आराजी वर्गफुटो में विभक्त होने से केवल प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हक व हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत है। यदि सम्पूर्ण वादग्रस्त खसरो में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया के बजाय अप्रार्थीगण को असुविधा के साथ क्षतिपूर्ति भी होगी ।

Scanned by CamScanner